झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक–19.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0	राँची विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अमरावती कॉलोनी कृष्णापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारिकापुरी इत्यादि क्षेत्रों में 13वें वित्त आयोग की राशि से पाइपलाइन बिछाने का कार्य एल0 एण्ड टी के द्वारा कराया जा रहा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है जबकि इसे 2018 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था। पी0एच0ई0डी0 विभाग झारखण्ड सरकार की उदासीनता के कारण पाईप लाईन बिछाने में भारी अनियमितता बरती जा रही है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। सड़कों एवं नालियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसका पुर्ननिर्माण एजेन्सी द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त विषय पर यथाशीघ्र कार्य पूरा करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02–	श्री संजीव सरदार स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका एवं डुमरिया प्रखंड में PDS के तय मानकों का अनुपालन नहीं कर केवल कार्डधारियों को चावल ही उपलब्ध करायी जा रही है जबकि जमशेदपुर प्रखंड में तय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। उक्त दोनों प्रखण्डों के ग्रामों में–	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

01.	02.	03.	04.
		15-20 व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो चुके है तथा अन्य बीमारियाँ भी फैलने लगी है। अतः आमजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोटका एवं डुमूरिया प्रखंड के ग्रामों में तय मानको के अनुसार PDS का लाभ देते हुए कार्डधारियों को चावल व गेंहू की बराबर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
03- श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0		गिरिडीह जिला के बगोदर एवं डुमरी प्रखण्ड NH 2 के 6 लेन के तहत् गैरमजरुवा भूमि भी अर्जित की गई है लेकिन जो किसान 40-50 वर्षों से जोतकार रहे है, विधियत रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है। उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, और ना ही उन किसानों को मिला है। जिनकी बंदोबस्ती सरकार के द्वारा ही की गई है। जबकि पूर्व में सरकार ने ही आदेश दिया था कि PSU गैरमजरुवा भूमि के जोतकारो को भी मुआवजा दे। राज्य के किसानों के उक्त महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आसन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार
04- सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्रीमती ममता देवी स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0		झारखण्ड राज्य में सरकार शिक्षित बेरोजगारों, विस्थापितों को नियोजन देने हेतु कटिबद्ध है परन्तु सरकार द्वारा आजतक नियोजन एवं विस्थापन नीति हेतु आयोग का गठन नहीं किया गया है जिससे लाखों लोग सरकारी नौकरियों में नियोजन से वंचित हो जा रहे है, जो सामाजिक न्याय के लिए उचित नहीं है। अतः झारखण्ड राज्य में अविलम्ब विस्थापन एवं नियोजन आयोग गठित करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
05-	श्री राज सिंन्हा स0वि0स श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र यदि द्विवर्षीय आई0टी0आई0 कोर्स पूरा करते हैं तो उन छात्रों को 10+2 (बारहवीं) की मान्यता नहीं मिलती है, जबकि झारखण्ड की सीमावर्त्ती राज्य बिहार में यह प्रावधान है कि दसवीं उत्तीर्ण छात्र यदि द्विवर्षीय आई0टी0आई0 कोर्स पूरा करते हैं तो ऐसे छात्र को 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण छात्र के रूप में मान्यता मिलती है वे सीधे स्नातक में अपना नामांकन करा सकते हैं। यह प्रावधान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि कई राज्य में लागू हैं। झारखण्ड में ऐसा प्रावधान नहीं रहने के कारण झारखण्ड से आई0टी0आई0 करने वाले छात्र पलायन कर जाते हैं और उसकी शिक्षा का लाभ झारखण्ड राज्य को नहीं मिल पाता है। अतः झारखण्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो द्विवर्षीय आई0टी0आई0 कोर्स पूरा करते हैं उन्हें 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण के रूप में मान्यता देते हुए स्नातक में नामांकन हेतु योग्य मानने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

रॉंची,
दिनांक- 19 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-प्र0ब्या0-03/2021-1464/वि0 स0, रॉंची, दिनांक- 18/03/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रॉंची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/21
(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0- प्र0ब्या0-03/2021-1464/वि0 स0, रॉंची, दिनांक- 18/03/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/21
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सुभाष/-

18/03/2021